



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0 -35/2018-1237 दिनांक : 03/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार/काष्ठ प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण एवं घेरान कार्य (ट्रेंच/झाड़ी) का अग्रिम कार्य हेतु कुल **17.303 लाख (सत्रह लाख तीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप-आवंटन पत्रांक-1004 दिनांक-03.08.2018 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका का ज्ञापांक-1769 दिनांक-26.09.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में पूर्व उप-आवंटित राशि के अतिरिक्त कुल **17.303 लाख (सत्रह लाख तीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का उप-आवंटन किया जा रहा है। उप-आवंटित राशि की इकाईवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र०सं०	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	9.147
2	आपूर्ति एवं सामग्री	8.156
कुल योग :-		17.303

2. उप-आवंटित की जा रही राशि की एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुलग्नक-1 पर पर द्रष्टव्य है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।

राशि

3. पूर्व उप-आवंटित का सभी शीर्ष/शर्त/कार्यदर प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत उप-आवंटन के अनुरूप रहेगा।

9

4.

पूर्व उप-आवंटित की गई राशि के यह अतिरिक्त राशि है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2018-1237 दिनांक- 03/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2018-1237 दिनांक- 03/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर फलदार/काष्ठ प्रजाति के पौधों का रोपण हेतु राशि का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम	प्रजाति	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
1	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	फलदार	104	8.605	7.488	16.093
		काष्ठ	10	0.542	0.668	1.210
	कुल :-		114	9.147	8.156	17.303

प्रधान मुख्य वन अधिकारी, विकास
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2018/1237

दिनांक - 03-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	60056	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	914,700.00 रुपये नौ लाख चौदह हजार सात सौ
2	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	60059	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	815,600.00 रुपये आठ लाख पंद्रह हजार छः सौ
योग:				1,730,300.00
क्रमिक योग:	रुपये सत्रह लाख तीस हजार तीन सौ			
			(SHRI SATNAM SINGH) PCCF, DABHAKHAN(S) RANCHI	